

मध्यप्रदेश शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन भोपाल 462004

::आदेश::

ॐ०००६

क्र. 35/04/19/म/31 :-राज्य में बाढ़ की स्थिति में प्रदेश के समस्त बड़े बाँधों के लिये प्रभावी आपदा प्रबंधन सुनिश्चित करने हेतु निम्नानुसार राज्य स्तरीय समिति का गठन किया जाता है :-

अध्यक्ष	- अपर मुख्य सचिव
समन्वयक	- प्रमुख अभियंता
सचिव	- मुख्य अभियंता (बोधी)
सदस्य	- मुख्य अभियंता (वि./यां)
सदस्य	- संचालक बांध सुरक्षा
सदस्य	- अधीक्षण यंत्री वृहद परियोजना (कार्या.प्रमुख अभियंता)

दिनांक 22/09/20
(व्ही.एस.टेकाम)
उप सचिव,

म.प्र. शासन, जल संसाधन विभाग

पृ. क्रमांक 35/04/19/म/31/65

भोपाल, दिनांक 22/09/2020
22/09/2020

प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव मान. मंत्री जी जल संसाधन विभाग भोपाल ।
2. निज सचिव मान. राज्यमंत्री जी, जल संसाधन विभाग भोपाल ।
3. समस्त जिला कलेक्टर ।
4. समस्त अध्यक्ष /सदस्यगण
5. बेव मैनेजर कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग भोपाल की ओर आदेश पोर्टल पर दर्ज करने हेतु ।

दिनांक 22/09/20
उप सचिव,

म.प्र. शासन, जल संसाधन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन भोपाल 462004


::आदेशः

क्र. 35/04/19/म/31 :-राज्य में बाढ़ की स्थिति में प्रदेश के समस्त बड़े बाँधों के लिये प्रभावी आपदा प्रबंधन सुनिश्चित करने हेतु निम्नानुसार कछार स्तरीय समिति का गठन किया जाता है जिसमें निम्नलिखित अधिकारी रहेगे :-

1. मुख्य अभियंता/परियोजना संचालक (पी.आई.यू.)
2. संबंधित अधीक्षण यंत्री ।
3. संबंधित मैदानी कार्यपालन यंत्री ।
4. अन्य विभाग के अधिकारी जिसे मुख्य अभियंता आवश्यक समझे।

समिति का दायित्व :-

- (i) समिति निरीक्षण उपरांत विस्तृत रिपोर्ट एवं सुरक्षा संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगी।
- (ii) आसन्न बाढ़ की स्थिति में बांध के नीचे (डाऊनस्ट्रीम में) संभावित खतरे की क्षमता को पहचान कर जिला प्रशासन को सूचित करेगी।
- (iii) बाढ़ की स्थिति की निगरानी करेगी।
- (iv) अग्रिम कार्रवाई के लिए संभावित बाढ़ के बारे में चेतावनी जारी करेगी।
- (v) सिंचाई के साथ-साथ निर्मित और अन्य सभी अवसंरचनाओं की निगरानी और सुरक्षा के साथ मानव जीवन और लाइव स्टॉक की सुरक्षा के कदम उठायेगी।
- (vi) बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे को बहाल करेगी।
- (vii) मानसून के दौरान बांधों से नियंत्रित फ्लड की विस्तृत रिपोर्ट एवं बांध के अपस्ट्रीम व हाउनस्ट्रीम में हुई क्षति का आंकलन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
- (viii) समिति आवश्यकतानुसार संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं तहसीलदार से भी विचार विमर्श करेगी।



(व्ही.एस.टेकाम)
उप सचिव,

म.प्र. शासन, जल संसाधन विभाग
भोपाल, दिनांक 22/09/2020

पृ. क्रमांक 35/04/19/म/31/67

प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव मान. मंत्री जी जल संसाधन विभाग भोपाल।
2. निज सचिव मान. राज्यमंत्री जी जल संसाधन विभाग भोपाल।
3. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग भोपाल।
4. समस्त जिला कलेक्टर्स।
5. समस्त संबंधित अधिकारी
6. बेव मैनेजर कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग भोपाल की ओर आदेश पोर्टल पर दर्ज करने हेतु।


उप सचिव,

म.प्र. शासन, जल संसाधन विभाग